

यांत्रिक विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (बी) के संदर्भ में सूचना

उप संकश न	मांगी गई जानकारी	अभ्युक्ति
4(b) (i)	संगठन के कार्यों और कर्तव्यों का विवरण	<p>यांत्रिक विभाग विजयवाड़ा मंडल मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, विजयवाड़ा- 520001 में डीआरएम ब्लॉक के भूतल में स्थित विभाग में से एक है। सीनियर डीएमई /विजयवाड़ा, विजयवाड़ा मंडल के यांत्रिक (सी एंड डब्ल्यू) विभाग के प्रभारी है, 4 जूनियर स्केल अधिकारियों एडीएमई, सीडीओ, एडीएमई/सीओए और एडीएमई/डब्ल्यूडी/बीजेडए द्वारा इनकी सहायता की जाती है। । कार्य और कर्तव्य निम्नानुसार हैं।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मुख्य कार्य और कर्तव्य कोचिंग और फ्रेट रोलिंग स्टॉक का रखरखाव है। 2. उपरोक्त ब्रेकडाउन रखरखाव और ब्रेक डाउन में भाग लेने के अलावा। 3. चल स्टॉक का रखरखाव करने के लिए विकास बुनियादी ढांचे .. 4. ड्रॉइंग स्टोर और चल स्टॉक की खरीद। 5. कार्यों / सेवाओं, निष्पादन और उसके बिलों से संबंधित विभिन्न अनुबंधों का प्रसंस्करण।
4(b) (ii)	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	<p><u>अधिकारी:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>रोलिंग स्टॉक का निरीक्षण, रखरखाव</u> 2) <u>शक्तियों की अनुसूची में निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार सीनियर डीएमई द्वारा अनुमानों की स्वीकृति/प्रसंस्करण।</u> <p><u>कर्मचारियों :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>दिन-प्रतिदिन के रखरखाव कार्यों में भाग लेना और मरम्मत कार्यों को शेड्यूल करना।</u> 2) <u>उच्च अधिकारियों के निर्देशों का कार्यान्वयन</u> 3) <u>स्वीकृत कार्यों के लिए योजना, मांगपत्र, अनुमान और निविदा कार्यक्रम तैयार करना।</u> 4) <u>मुख्यालय पत्राचार के लिए उत्तर तैयार करना।</u> 5) <u>विफलताओं की जांच और ऐसी विफलताओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए कार्रवाई</u> 6) <u>विफलताओं, पटरी से उतरने और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में पूछताछ करना।</u>
4(b) (iii)	पर्यवेक्षण के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया	<p>प्रस्तुत करने का चैनल एसएसई/एडीएमई स्तर से है और सीनियर डीएमई द्वारा निर्णय/निपटान करने/प्रस्ताव का अंतिम स्तर है। रेलवे द्वारा जारी शक्तियों की अनुसूची में निर्धारित अनुसार चैनल का पालन किया जा रहा है।</p>
4(b) (iv)	कार्यों के निर्वहन के लिए इसके	<ol style="list-style-type: none"> 1) क्षेत्रीय मुख्यालयों द्वारा प्रभाग के निष्पादन के लिए कार्यशील लक्ष्य

	द्वारा निर्धारित मानदंड	निर्धारित किए जाते हैं और मुख्यालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मंडल प्रयासरत रहता है। 2) कार्यों के निर्वहन के लिए नियमों और विनियमों का ज्ञान होना चाहिए। 3) कर्तव्यों से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन। 4) अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय।
4(b)(v)	इसके द्वारा धारित या इसके नियंत्रण में या इसके कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड।	क्षेत्रीय मुख्यालयों से विभिन्न नियमावली, रेलवे बोर्ड के परिपत्र, निर्देश और निर्देश हैं जिनका उपयोग कार्यों के निर्वहन में किया जाता है। उनमें से कुछ हैं 1) कार्यों और सेवाओं के लिए अनुबंध की सामान्य शर्तें 2) वैगन और कोचिंग नियमावली 3) दुर्घटना मैनुअल 4) आईआरसीए भाग III और भाग IV 5) आरडीएसओ/कैमटेक प्रकाशन
4(b)(vi)	इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण।	स्थापना कोड की कोड पुस्तकें, वित्तीय कोड, कार्यों और सेवाओं के लिए अनुबंध की सामान्य शर्तें, वैगन और कोचिंग नियमावली, दुर्घटना नियमावली, आईआरसीए भाग III और भाग IV। इसके अतिरिक्त, रेलवे बोर्ड/जोनल रेलवे/मंडल कार्यालय से समय-समय पर जारी नीति परिपत्र/महत्वपूर्ण पत्र/निर्देश/संयुक्त प्रक्रिया आदेश आदि
4(b)(vii)	किसी भी व्यवस्था का विवरण जो जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है, इसकी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में।	लागू नहीं
(b)(viii)	बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का एक बयान जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, जो इसके हिस्से के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित हैं, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं।	लागू नहीं
4(b)(ix)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका।	विजयवाड़ा मंडल यांत्रिक विभाग के फोन नंबर: सूचना दक्षिण मध्य रेलवे की वेबसाइट http://www.scr.indianrailways.gov.in पर देखी जा सकती है।

4(b) (x)	इसके नियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली सहित, इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक।	यह वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों के निर्दिष्ट ग्रेड के लिए तय किया जाता है।
4(b) (xi)	अपनी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें सभी पैस, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट का विवरण होता है।	पिंक बुक, कानून एवं राजस्व अनुदान के तहत विभिन्न कार्यों में व्यय किया जाता है। कार्यों के महत्व और तात्कालिकता के आधार पर बजट आवंटित किया जाता है। समय-समय पर समीक्षा की जाती है और तदनुसार आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किए जाते हैं।
4(b) (xii)	आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरण सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका।	लागू नहीं
4(b)(xiii)	इसके द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण।	लागू नहीं
4(b)(xiv)	उपलब्ध या धारित सूचना के संबंध में विवरण, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम किया गया है।	कोड बुक और मैनुअल भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
4(b) (xv)	जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के काम के घंटे शामिल हैं, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा गया है।	कुछ नहीं
4(b)(xvi)	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण।	जन सूचना अधिकारी वरि. मंडल वाणिज्य प्रबंधक संपर्क करें: 67900 कार्यालय नं. 08662767900
4(b)(xvii)	इस तरह की अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है और उसके बाद हर साल इन प्रकाशनों को अद्यतन किया जा सकता है।	कुछ नहीं
4(1)(b) (xviii)	राजस्व विभाग में इनकंबेंसी की स्थिति	लागू नहीं